न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 394 /2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

दलाराम पुत्र खीयाराम
जाति दिशान्तरी निवासी उम्मेदनगर
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार
तिंवरी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः—26/11/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, मौजा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। मेरी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम ढलाराम पि. खीयाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। मेरा वास्तविक नाम दलाराम पि. खीयाराम हैं तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में मेरा नाम दलाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम ढलाराम गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूँ। जो इन दस्तावेजों से बखूबी दलाराम प्रमाणित होता हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने से राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

369 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ढलाराम पि. खीयाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम दलाराम पि. खीयाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें ग्राम उम्मेदनगर के खसरा नम्बर 369, 366 में प्रार्थी का नाम ढलाराम पि. खीयाराम लिखा हुआ है।, आधार कार्ड, राशन कार्ड पहचान पत्र में दलाराम पि. खीयाराम दर्ज है तथा सम्बन्धित खातेदारों से पुछताछ की तो आस–पड़ौस व सहखातेदारों ने बताया कि ढलाराम का सही नाम दलाराम है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में ढलाराम के स्थान पर दलाराम पि. खीयाराम किया जाना उचित है।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ढलाराम पि. खीयाराम के स्थान दलाराम पि. खीयाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ग्रामीण
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 28/11/... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ग्रामीण
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner